न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 17.03.2023

करण संख्या: 20 / 23
सीएमएस नं. 2023 / 42

उनवान

बच्चूसिंह 2 लक्ष्मन पुत्रन बुद्धी 3 मोहनसिंह 4 शेरसिंह 5 देवसिंह 6 हुशियारसिंह पुत्रान रघुवीर जातियान ाट नि. नंगला धवला तह. भुसावर 7 मुकेश 8 लाखन 9 मुनेश पुत्रान गंगासहाय जायितान मीना नि. टारीपुरा तह. भुसावर 10 सोहनसिंह 11 रामकिशोर पुत्रान मवासी 12 चंदरसिंह पुत्र मंगू 13 बृजलाल पुत्र बलसिंह 14 महराजसिंह 15 लालाराम 16 जगराम 17 अजीराम 18 सुरेश पुत्रान रामदयाल 19 धर्मसिंह पुत्र टका 20 समन्दर 21 देवीराम पुत्रान नारायनसिंह जातियान माली नि. अटारीपुरा तह. भुसावर 22 समन्दर 3 लक्ष्मन पुत्रान खिल्लू 24 यातो उर्फ यातेन्द्र पुत्र खिल्लू 25 जीतेन्द्र 26 वीरेन्द्र पुत्रान विजयसिंह ातियान जाट नि. नंगला धवला तह. भुसावर 27 राकेश पुत्र रामकिशन जाति मीना नि. अटारीपुरा तह. ुसावर जिला भरतपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 तोता पुत्र गुरजी जाति जाटव नि. अटारीपुरा तह. भुसावर 2 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—
1 श्री छोटेलाल मीना —वादीगण

निर्णय दिनांक 29 / 04 / 2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबरान पुरान 238 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, 283 मिन रकबा 01 बिस्वा तथा खसरा नंबर 201 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम अटारीपुरा तह. भुसावर में स्थित है। जिनके नये खसरा नंबरान क्रमशः 291 / 548 रकबा 0.56, 339 रकबा 0.01, 249 रकबा 0.36 हैक्टे. वाके ग्राम अटारीपुरा है। जिनमें आराजी खसरा नंबर 201 में वादी संख्या 1 व 2 रकबा 13 बिस्वा में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 10 लगायत 13 रकबा 06 बिस्वा में व हिस्सा बराबर के व वादी संख्या 7 लगायत 9 व 27 रकबा 06 बिस्वा में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 22 लगायत 24 रकबा 08 बिस्वा में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 14 लगायत 18 रकबा 03 बिस्वा में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 19 लगायत 21 रकबा 03 बिस्वा में वाहिस्सा बराबर के व आराजी खसरा नंबरान 238 व 283 में वादी संख्या 3 लगायत 6 रकबा 1 / 4 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 25 लगायत 26, 1 / 4 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के तथा वादी संख्या 1 व 2, 1 / 4 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के व वादी संख्या 22 लगायत 24, 1 / 4 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

उपरोक्त आराजीयात में वादीगण के पूर्वजों उपरोक्त हिस्सेनुसार संवत 2012 से पूर्व से वहैसियत खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। आराजी खसरा नंबर 201 वादीगण की अन्य खातेदार की आराजी खसरा नंबरान 202, 203, 204, 193, 196 व 197 में मिले हुये है तथा खसरा नंबर 238 वादीगण की अन्य खातेदारी की आराजी खसरा नंबरान 240, 241, 242, 197 व 239 में मिला हुआ है।

वादग्रस्त आराजी खसरा नंबरान 238, 283 मिन व 201 का पट्टा पूर्व में हुकमचन्द पुत्र निर्मलदास जाति खत्री निवासी बयाना भू.पू. सैनिक के नाम होने पर उक्त पट्टे की अपील वादीगण व वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

द्वारा अपील अतिरिक्त कलैक्टर भरतपुर के उक्त पट्टेदारान के खिलाफ पेश की थी, जो वादीगण व
ग के पूर्वजों के पक्ष में दिनांक 26.03.1971 को स्वीकार हो गई थी, जिसमें वादीगण व वादीगण के
के पक्ष में पट्टा किया जाकर हुकमचन्द के नाम पट्टा समाप्त किया गया।

वादीगण ने अज्ञानतावश अपील स्वीकार होने का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नही कराया और
न्द की गैरखातेदारी चली आई, जिसके आधार पर हुकमचन्द ने खातेदारी प्राप्त कर दिनांक 12.09.
को गलत खातेदारी का फायदा उठाते हुये तोता पुत्र गुरजी जाति जाटव निवासी अटारीपुरा को
ा वयनामा करा दिया, किन्तु कब्जा नहीं दिया गया, क्योंकि आराजी पर हम वादीगण का कब्जा
के समय से चला आ रहा है। इस समय भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा व काश्त विद्यमान है
वादीगण द्वारा बोई गई गेहू व सरसों की फसल सरसब्ज खडी हुई है। प्रतिवादी तोता का उक्त
जी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा व काश्त आज तक नहीं रहा है।

प्रतिवादी तोता ने गलत खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर दिनांक 03.03.2023 को वादीगण को
आम धमकी दी है कि उक्त आराजी की खातेदारी का इन्द्राज मेरे नाम चला आ रहा है। मैं उक्त
जी पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल व महरूम कर दूंगा व जबरन फसल को काट कर ले जाऊंगा
उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल कर दूंगा और तुम्हें उक्त आराजी में शांति
काश्त नहीं करने दूंगा।

यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गये तो वादीगण अपनी पैत्रिक
तेदारी काश्तकारी की आराजी से बेदखल व महरूम हो जावेगें व शांति से काश्त नहीं कर सकेंगें और
ीगण को अपरमित क्षति होगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वदी वजह
ीगण को अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
न्द कराने हेतु उक्त वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबरान पुराने 238 रकबा 03 बीघा 09
स्वा, 283 मिन रकबा 01 बिस्वा, 201 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा जिनके नये खसरा नंबरा क्रमशः
1/548 रकबा 0.56, 339 रकबा 0.01, 249 रकबा 0.36 हैक्टे. वाके ग्राम अटारीपुरा तह. भुसावर में
दपत्र की मद सख्या 1 के अनुसार वादीगण को उनके निहित हिस्सेदारान खातेदार काश्तकार घोषित
रया जावे तथा प्रतिवादी तोता के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण
नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का इन्द्राज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी तोता के नाम हुकमचन्द द्वारा
राये गये गलत व अवैधतरी के वयनामा तारीख 12.09.1988 को वादीगण के मुकाबले अवैध व शून्य
षित फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। बाद
मील उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप शपथ पत्र बच्चूसिंह पी.डब्ल्यू–1 पेश किया तथा
च्चूसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–1, नकल
माबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2017–18,
कल नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम अटारीपुरा प्रदर्श–5 प्रस्तुत किये गये।

हमने बहस पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। दौराने बहस अवगत कराया कि वादग्रस्त
राजी खसरा नबर 238, 283 मिन व 201 का पट्टा पूर्व में हुकमचन्द पुत्र निर्मलदास जाति खत्री निवासी
याना भूपू. सैनिक के नाम होने पर उक्त पट्टे की अपील वादीगण व वादीगण के पूर्वजों द्वारा अपील
तिरिक्त कलैक्टर भरतपुर के उक्त पट्टेदारान के खिलाफ पेश की थी, जो वादीगण व वादीगण के पूर्वजों
पक्ष में दिनाक 26.03.1971 को स्वीकार हो गई थी। जिसमें वादीगण व वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में
ट्टा किया जाकर हुकमचन्द के नाम पट्टा समाप्त किया गया। लेकिन उक्त आदेश के संबंध में सक्षम
यालय का कोई प्रमाणित दस्तावेज वादीगण एव उनके अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में पेश नही किया। तथा
दर्श–1 लगायत प्रदर्श–5 में कही भी वादीगण खातेदार के रूप में दर्ज नही है।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एव इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति
वलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादीगण खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तथा वादीगण द्वारा वयनामा दिनांक 12.09.1988 को करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः इस बाबत वादीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)